


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 81 / 2023 बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला निर्वाचन अधि.स0मा0 ,
पत्नि कमलकिशोर नि0 एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर, / मूल निवास प्लाट नम्बर
75,रामलीला मैदान खण्डार
GCMS No-2023/184

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.2.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <p>1. दिनांक 15.10.2023 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसमें मूल प्रति सहित आर्डर की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं आज तक की सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रति दी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.1.2024 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा गलत सूचना दी गयी है। अतः सही एवं स्पष्ट सूचना दिलवायी जावे। दौराने सुनवायी पैरोकार ने लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक / चुनाव/सूकाअ/2024/27 दिनांक 5.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2023 में चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2023 पर की गयी कार्यवाही) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) खण्डार के पत्रांक/न्याय/23/770-71 दिनांक 28.10.2023 एवं पत्रांक/न्याय/निर्वा./23/827 दिनांक 19.11.2023 से एवं उपजिला निर्वा.अधि. स0मा0 के पत्रांक 6050 दिनांक 30.10.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2023 में चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2023 पर की गयी कार्यवाही) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) खण्डार द्वारा दो बार एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 6050 दिनांक 30.10.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के भाई द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 12/2023 वृन्दावन मथुरिया बनाम लोक सूचना अधिकारी में भी प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 एवं 18.11.2022 जो कि मतदाता सूची के माध्यम से पहचान पत्र दिलवाने/अपनी आईडेन्टीटी बनवाने बाबत थे। उक्त उनवानी अपील में पारित निर्णय दिनांक 3.3.2023 में अपीलान्ट के भाई को स्पष्ट रूप से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2023 में भी अपीलान्ट अपना Identity बनवाने को लेकर की गयी कार्यवाही की सूचना चाहती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः पूर्व विषयवस्तु की सूचनाएं मांगी जाकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने स्वयं का एवं कार्यालय का समय भी बर्बाद किया जा रहा है। चूंकि इस अपील से संबंधित सूचना अपीलान्ट को प्राप्त हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद में दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ०खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>